अध्याय 6

केंद्रीय विक्रय कर

धारा 2 का संशोधन।

89. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— 1956 का 74

(क) खंड (ज) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी कार्य संविदा के निष्पादन में अंतर्वलित माल में की संपत्ति के अंतरण की दशा में (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) ऐसे माल की विक्रय कीमत कार्य संविदा के लिए कुल प्रतिफल से ऐसी कटौती करके, जो विहित की जाए, विहित रीति में अवधारित की जाएगी और ऐसी कीमत इस खंड के प्रयोजनों के लिए विक्रय कीमत समझी जाएगी ।";

(ख) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(झ) "विक्रय कर विधि" से किसी राज्य या उसके भाग में तत्समय प्रवृत्त कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है, जो साधारणतः माल के विक्रय या क्रय पर या उस निमित्त अभिव्यक्त रूप से वर्णित किसी विनिर्दिष्ट माल पर करों के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है और जिसके अंतर्गत मूल्यवर्धित कर विधि भी है, और "साधारण विक्रय कर विधि" से किसी राज्य या उसके भाग में तत्समय प्रवृत्त कोई ऐसी विधि अभिप्रेत है, जो साधारणतः माल के विक्रय या क्रय पर कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती है और इसके अंतर्गत मूल्यवर्धित कर विधि भी है ;';

(ग) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ञक) "कार्य संविदा" से कोई ऐसा कार्य करने के लिए, जिसके अंतर्गत किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का समंजन, सन्निर्माण, निर्माण, परिवर्तन, विनिर्माण, प्रसंस्करण करना, उसे गढ़ना, परिनिर्माण, स्थापित, सज्जित, सुधार, मरम्मत करना या अधिकार सौंपना भी है, कोई संविदा अभिप्रेत है ;'।

धारा 5 का संशोधन।

90. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

'(4) उपधारा (3) के उपबंध माल के किसी विक्रय या क्रय को तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी विहित प्राधिकारी को, विहित रूप में सम्यक् रूप से भरी हुई और उस निर्यातकर्ता द्वारा, जिसको, माल का विहित प्राधिकारी से अभिप्राप्त किए गए किसी विहित प्ररूप में विक्रय किया गया है, हस्ताक्षरित कोई घोषणा नहीं देता है ।

(5) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई अभिहित भारतीय वाहक अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ान के प्रयोजनों के लिए उड़ान टर्बाइन ईंधन का क्रय करता है तो ऐसा क्रय भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर माल के निर्यात के अनुक्रम में किया गया समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "अभिहित भारतीय वाहक" से कोई ऐसा वाहक अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे । '।

धारा 6 का संशोधन।

91. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(3) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कोई कर किसी व्यौहारी द्वारा अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में ऐसे व्यौहारी द्वारा —

(i) भारत में किसी विदेशी राजनयिक मिशन या वाणिज्यिक दूतावास ; या

(ii) संयुक्त राष्ट्र या कोई अन्य वैसे ही अंतरराष्ट्रीय निकाय,

के किसी ऐसे पदधारी, कार्मिक, कौंसलीय या राजनयिक अभिकर्ता को किए गए किसी माल के विक्रय के संबंध में, जो किसी ऐसे कन्वेंशन या करार के अधीन, जिसका भारत एक पक्षकार है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विशेषाधिकारों का हकदार है, यदि, यथास्थिति, ऐसे पदधारी, कार्मिक, कौंसलीय या राजनयिक अभिकर्ता ने ऐसे माल का स्वयं के लिए या ऐसे मिशन, वाणिज्यिक दूतावास, संयुक्त राष्ट्र या अन्य निकाय के प्रयोजनों के लिए क्रय किया है, संदेय नहीं होगा ।

(4) उपधारा (3) के उपबंध अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में किए गए माल के विक्रय को, तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसे माल का विक्रय करने वाला व्यौहारी विहित प्राधिकारी को, विहित रीति में विहित प्ररूप पर कोई प्रमाणपत्र, जो यथास्थिति, ऐसे पदधारी, कार्मिक, कौंसलीय या राजनयिक अभिकर्ता द्वारा सम्यक् रूप से भरा न गया हो और हस्ताक्षरित न किया गया हो, प्रस्तुत नहीं करता है ।"।

धारा 13 का संशोधन।

92. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में, खंड (कक) को उसके खंड (कख) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया जाएगा और खंड (कख) को इस प्रकार पुनःअक्षरांकित किए जाने के पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कक) विक्रय कीमत के अवधारण की रीति और धारा 2 के खंड (ज) के परंतुक के अधीन किसी कार्य संविदा के लिए कुल प्रतिफल से कटौतियां ;"।